

**कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
मुलताई जिला-बैतूल (म0प्र0)**

प्र0 क0 06 अ 82/18-19 मौजा गौला / 2407

दिनांक 03/08/2019

प्ररूप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक 624 दिनांक 02/03/2019 द्वारा, राज्य सरकार ने पारसडोह मध्यम उदवहन सिंचाई परियोजना के लिए ग्राम गौला तहसील - मुलताई, जिला - बैतूल इंटेक वेल से ग्राम लिहदा बी. पी. टी., तहसील - मुलताई, जिला - बैतूल तक के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना प्रारूप ख राजपत्र में दिनांक 08/03/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	गौला, प.ह.न. 07	601/1	0.013
			593/1	0.027
			601/2	0.006
			592	0.030
			427/6	0.009
			427/5	0.010
			427/4	0.004
			427/3	0.004
			427/2	0.004
			427/1	0.042
			418/1	0.023
			416/1	0.028
			373/1	0.012
			370	0.012
336/1	0.012			



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	गौला, प.ह.न. 07	371	0.067
			336/2	0.030
			335	0.012
			334/1	0.004
			331/1	0.007
			330	0.005
			329/2	0.011
			312	0.015
			311/8	0.017
			307	0.054
			306	0.012
			305	0.021
			176/1	0.062
			164/1	0.031
			175	0.010
			164/6	0.028
			164/9	0.019
164/7	0.009			
		योग	0.650	

दिनांक:- 03/09/2019

स्थान :- मुलताई

सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई

प्र0क0 06 अ-82/वर्ष 18-19/भू-अर्जन/मौजा गौला/240) मुलताई दिनांक 03/09/2019
प्रतिलिपि :-

1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रनालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रनालय, म0 प्र0 भोपाल की ओर म0 प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित् ।

2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पाच प्रतियों में) अग्रेषित् । कृपया उक्त प्ररूप 'घ' का प्रकाशन जिले में संवाधिक प्रकाशित एक प्रदेश स्तर दैनिक एवं स्थानीय स्तर के दैनिक समाचार पत्रों कराया जाकर इस कार्यालय को समाचार पत्रों की प्रति भेजने का कष्ट करे ।

3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित् । प्ररूप 'घ' का प्रकाशन एक स्थानीय पेपर मे कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय मे भेजी जावे साथ ही कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे ।

4- जिला सूचना विान अधिकारी बैतूल (एन आइ सी) की ओर समूचित सरकार की वेबसाइट WWW.betul.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित् ।

5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित् । एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाये तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु ।

6- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) अग्रेषित् । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति क्रय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे । एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करे ।

7- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित् । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा) (भू-अर्जन शाखा) मुलताई को उपलब्ध करावे

8- सरपंच / सचिव ग्राम गौला तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर प्ररूप 'घ' का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित् ।



सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई